पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मंटू कुमार

बनाम

भारत संघ और अन्य

2023 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 23813

में

2019 की दीवानी समीक्षा संख्या 408

01 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री एवं न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या रिट याचिका को गैर-धारणीयता के आधार पर खारिज करने की चुनौती देने वाली वर्तमान समीक्षा याचिका विचारणीय है या नहीं?

हेडनोट्स

दीवानी प्रक्रिया संहिता; धारा 114, आदेश 47; समीक्षा क्षेत्राधिकार का दायरा और सीमा; "अभिलेख देखने पर त्रुटि स्पष्ट है"; याचिकाकर्ता उस आदेश की समीक्षा चाहता है जिसके तहत याचिकाकर्ता की रिट याचिका इस तथ्य के आधार पर खारिज कर दी गई थी कि याचिका अंग्रेजी में किसी भी प्रमाणित अनुवादित संस्करण के साथ हिंदी भाषा में दायर की गई है और इस तरह, यह गैर-रखरखाव योग्य है।

निर्णय: संविधान के अनुच्छेद 226 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय को समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने से रोकता हो, जो न्याय की त्रुटि को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटियों को ठीक करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र वाले प्रत्येक न्यायालय में निहित है; लेकिन, समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएं हैं; समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है, जो उचित

परिश्रम के प्रयोग के बाद समीक्षा चाहने वाले व्यक्ति के ज्ञान में नहीं था या आदेश दिए जाने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था; इसका प्रयोग तब किया जा सकता है जब अभिलेख पर स्पष्ट रूप से कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है; इसका प्रयोग किसी भी समान आधार पर भी किया जा सकता है; लेकिन, इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय गुण-दोष के आधार पर गलत था क्योंकि यह अपील न्यायालय का कार्य होगा; समीक्षा की शक्ति को अपीलीय शक्तियों के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, जो अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को ठीक करने में सक्षम बना सकती है; नियम के तहत ऐसा जो अभिलेख से स्पष्ट हो, न कि कोई त्रुटि जिसे खोजकर निकाला जाए; यह केवल एक त्रुटि से अधिक होनी चाहिए और यह अभिलेख से स्पष्ट होनी चाहिए; वर्तमान मामले में, निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने हिंदी में दायर की गई रिट याचिका का अंग्रेजी संस्करण दायर नहीं किया था; अभिलेख से कोई स्पष्ट या स्पष्ट त्रुटि या आदेश की समीक्षा के लिए कोई अन्य आधार नहीं है; याचिकाकर्ता, वास्तव में, न्यायालय के दृष्टिकोण या राय को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है, जो कि अपील न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, न कि समीक्षा क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले न्यायालय का; समीक्षा याचिका, किसी भी प्रकार से गुण-दोष से रहित होने के कारण, 5,000/- रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है। **(कंडिका- 6, 10, 16-22)**

न्याय दृष्टान्त

अरिबम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशाक शर्मा एवं अन्य **(1979) 4 एससीसी 389;** भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एवं अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब एवं अन्य, **(2005) 4 एससीसी 741;** इंदरचंद जैन एलआरएस के माध्यम से बनाम मोतीलाल एलआरएस के माध्यम से, **(2009) 14 एससीसी 663;** राजेंद्र कुमार बनाम रामबाई **(2007) 15 एससीसी 513;** एस. बागीरथी अम्मल बनाम पलानी रोमन कैथोलिक मिशन, **(2009) 10 एससीसी 464;** शांति कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड एवं अन्य, **(2020) 2**

एससीसी 677; शशि (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम अरविंदक्षण नायर एवं अन्य, **(2017) 4 एससीसी 692;** सो चंद्र कांते एवं अन्य बनाम शेख हबीब, **(1975) 1 एससीसी 674;** मेसर्स नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल, **(1980) 2 एससीसी 167**

..........पर आधारित।

अधिनियमों की सूची

भारतीय संविधान; दिवानी प्रक्रिया संहिता

मुख्य शब्दों की सूची

समीक्षा क्षेत्राधिकार; न्याय की चूक; गंभीर और प्रत्यक्ष त्रुटियाँ; नया और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य; अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि; समीक्षा की शक्ति बनाम अपीलीय शक्तियाँ; अपील न्यायालय का क्षेत्राधिकार।

प्रकरण से उत्पन्न

माननीय पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद सं. 23813/2019 में पारित आदेश दिनांक 02.12.2019

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से: श्री इंद्रदेव प्रसाद

विपक्षी/गणों की ओर से: श्री पुष्कर नारायण शाही (एएजी 6)

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया**:** घनश्याम, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2019 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 23813
में
2019 की दीवानी समीक्षा सं. 408

==

मंटू कुमार, पिता- स्वर्गीय रामचंद्र सिंह, व्यावसायिकता- जंतू विज्ञान विभाग, रामरूप प्रसाद इंटर हाई स्कूल भेलवाड़ा, मसौढ़ी, जिला- पटना, स्थायी पता- पुराना जक्कनपुर, कौशल्या भवन, डाकघर- जी.पी.ओ., थाना- गर्दानी बाग, जिला -पटना, पिनकोड- 800001।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. गृह सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से भारत संघ ।
2. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
3. महासचिव मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
4. निदेशक सह अतिरिक्त सचिव मंत्रीमंडल सचिवालय (राज्यभाषा) विभाग, बिहार सरकार, पटना ।
5. राष्ट्रीय संयोजगक, भारतीय भाषा अभियान, नई दिल्ली
6. महासचिव, भाटिया भाषा आंदोलन, कादीपुर दिल्ली, थाना- स्वरूप नगर, जिला-उत्तरी दिल्ली ।
7. निदेशक, हिंदी सेवा निधि, इटावा, उत्तर प्रदेश।
8. महापंजीयक, पटना उच्च न्यायालय, पटना ।

.... विपक्षी/गणों

==

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री इंद्रदेव प्रसाद

विपक्षी/गणों के लिए : श्री पुष्कर नारायण शाही (एएजी 6)

==

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

दिनांक : 01-08-2023

वर्तमान समीक्षा याचिका 2019 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 23813 में इस न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश की समीक्षा के लिए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता की रिट याचिका को अग्रहणीयता के कारण सीमित रूप से खारिज कर दिया गया था।

2. इसलिए सवाल यह है कि क्या यह न्यायालय दीवानी समीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत उक्त आदेश की समीक्षा कर सकता है।

3. इससे पहले कि हम पुनरीक्षण के लिए यचिकाकर्ता के प्रस्तुत करने पर विचार करने के लिए आगे बढ़ें, यह जानने के लिए कि पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का दायरा और सीमा क्या है, जिसके लिए सांविधिक प्रावधानों और मामले के कानूनों की जांच करना अनिवार्य है।

4. दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 114 कि डिक्री या आदेश की समीक्षा करने की मूल शक्ति से संबंधित है। यह खंड इस प्रकार हैः

> *"114. समीक्षा- जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई भी व्यक्ति जो खुद को व्यथित मानता है,*
>
> *(क) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे इस संहिता द्वारा अपील की अनुमति है, लेकिन जिससे कोई अपील नहीं की गई है,*
>
> *(ख) एक डिक्री या आदेश द्वारा जिससे इस संहिता द्वारा कोई अपील की अनुमति नहीं है, या*
>
> *(ग) लघुकारणों के न्यायालय के निर्देश पर निर्णय द्वारा उस न्यायालय को निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन किया जा सकता है जिसने डिक्री पारित की या आदेश दिया, और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।"*

5. हालाँकि, यह धारा समीक्षा क्षेत्राधिकार के प्रयोग के संबंध में किसी भी शर्त

या सीमा का उल्लेख नहीं करती है। हालांकि, दीवानी प्रक्रिया संहिता का आदेश 47 प्रक्रिया के साथ-साथ समीक्षा क्षेत्राधिकार की शर्तों और सीमाओं से संबंधित है। आदेश 47 इस प्रकार हैः

> *"1. निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन।- (1) स्वयं को व्यथित मानने वाला कोई भी व्यक्ति- (क) किसी डिक्री या आदेश द्वारा जिससे अपील की अनुमति है, लेकिन जिससे कोई अपील नहीं की गई है,*
>
> *(ख) किसी डिक्री या आदेश द्वारा जिससे कोई अपील की अनुमति नहीं है, या*
>
> *(ग) लघुवाद न्यायालय से प्राप्त संदर्भ पर निर्णय द्वारा, और जो किसी नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज से, जो सम्यक तत्परता के बाद भी उसकी जानकारी में नहीं था या डिक्री पारित होने या आदेश दिए जाने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था, या अभिलेख में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली किसी गलती या त्रुटि के कारण, या किसी अन्य पर्याप्त कारण से, अपने विरुद्ध पारित डिक्री या आदेश की समीक्षा प्राप्त करना चाहता है, वह उस न्यायालय से निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री पारित की थी या आदेश दिया था।*
>
> *(2) एक पक्ष जो किसी डिक्री या आदेश से अपील नहीं कर रहा है, वह किसी अन्य पक्ष द्वारा अपील के लंबित होने के बावजूद निर्णय की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, सिवाय इसके कि जहां ऐसी अपील का आधार आवेदक और अपीलकर्ता के लिए समान है, या जब, उत्तरदाता होने के नाते, वह अपील न्यायालय में वह मामला पेश कर सकता है जिस पर वह समीक्षा के लिए आवेदन करता है।*
>
> *[स्पष्टीकरण-यह तथ्य कि विधि के उस प्रश्न पर निर्णय, जिस पर न्यायालय का निर्णय आधारित है, हैकिसी अन्य मामले में उच्च न्यायालय के बाद के निर्णय द्वारा उलट दिया गया है या संशोधित किया गया है, ऐसे निर्णय की समीक्षा के लिए आधार नहीं होगा।]"*

6. मामलों के कानून पर आते हुए, हम पाते हैं कि **अरिबाम तुलेश्वर शर्मा बनाम अरिबम पिशक शर्मा और अन्य, (1979) 4 एस.सी.सी. 389** के कंडिका-3 में प्रतिवेदित, मामले में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** के निर्णय में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उच्च न्यायालय को समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने से रोकता है जो पूर्ण अधिकारक्षेत्र के प्रत्येक न्यायालय में न्याय की विफलता को रोकने या उसके द्वारा की गई गंभीर और स्पष्ट त्रुटि यों को सुधारने के लिए निहित है। लेकिन, समीक्षा की शक्ति के प्रयोग की निश्चित सीमाएँ हैं। समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज पर किया जा सकता है,जो उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद समीक्षा की मांग करने वा ले व्यक्ति की जानकारी में नहीं था या आदेश दिए जाने के समय उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं कि या जा सका था; इसका उपयोग वहां कि या जा सकता है जहां अभिलेख के सामने कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि पाई जाती है; इसका उपयोग किसी भी अनुरूप आधार पर भी कि या जा सकता है। लेकिन, इसका प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय गुण-दोष के आधार पर गलत था । वह अपील न्यायालय का प्रांत होगा। अपीलीय शक्तियों के साथ भ्रमित न हों जो एक अपीलीय न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई सभी प्रकार की त्रुटियों को सुधारने में सक्षम बना सकती हैं।

7. **भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अन्य बनाम नेताजी क्रिकेट क्लब और अन्य,** जैसा कि **(2005) 4 एस.सी.सी. 741,** में प्रतिवेदित किया गया है**,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-88 में कहा है कि समीक्षा आवेदन पर विचार करने में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कानूनी रूप से खराब नहीं कहा जा सकता है। संहिता की धारा 114 न्यायलय को अपने आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देती है यदि उसमें निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तें पूरी हो जा ती हैं। कानून का मूल प्रावधान न्यायलय की शक्ति पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है, सिवाय उन लोगों के जो संहिता की धारा 114 में स्पष्ट रूप से प्रदान

किए गए हैं, जिसके संदर्भ में उसे ऐसा आदेश देने का अधिकार है जो वह उचित समझता है। **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने निर्णय के कंडिका-90 में आगे कहा है कि संहिता के आदेश 47 नियम-1 में समीक्षा के लिए आवेदन दायर करने का प्रावधान है। समीक्षा के लिए ऐसा आवेदन न केवल साक्ष्य के एक नए और महत्वपूर्ण टुकड़े की खोज पर या जब अभिलेख के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि मौजूद हो, बल्कि तब भी बनाए रखा जा सकता है जब किसी गलती के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से इसकी आवश्यकता हो। निर्णय के कंडिका-90 में आगे यह देखा गया है कि इस प्रकार, न्यायालय की ओर से गलती जिसमें उपक्रम की प्रकृति में एक गलती शामिल होगी, आदेश की समीक्षा के लिए भी कहा जा सकता है। यदि इसके लिए पर्याप्त कारण मौजूद है तो समीक्षा के लिए एक आवेदन भी बनाए रखा जा सकता है। पर्याप्त कारण क्या होगा, यह मामले के तथ्यों और परि स्थितियों पर निर्भर करेगा। संहिता के आदेश 47 नियम 1 में "पर्याप्त कारण" शब्द इतने व्यापक हैं कि न्यायलय या यहां तक कि एक वकील द्वारा तथ्य या कानून की गलत धारणा को शामिल कि या जा सकता है। समीक्षा के लिए एक आवेदन "एक्टस क्यूरीयूरी नेमेनेम ग्रेवबिट" सिद्धांत को लागू करने के माध्यम से आवश्यक हो सकता है।

8. एल.आर.एस. बनाम मोती लाल के माध्यम से एल.आर.एस. के माध्यम से इंदरचंद जैन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि **(2009) 14 एस.सी.सी. 663** के कंडिका- 8 में प्रतिवेदित किया गया है कि समीक्षा के लिए एक आवेदन अन्य बातों के साथ-साथ होगा जब आदेश अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त होता है और इसे जारी रखने की अनुमति देने से न्याय की विफलता होगी। उसी अनुच्छेद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **राजेंद्र कुमार बनाम रामबाई** का उल्लेख किया है**,** जैसा कि **(2007) 15 एस.सी.सी. 513** में प्रतिवेदित किया गया है। कंडिका- 6 में कहा गया है कि समीक्षा करने की शक्ति के प्रयोग की सीमाएँ अच्छी तरह से तय की गई हैं। पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि जिस आदेश की पुनरीक्षण की

मांग की गई है,वह किसी भी त्रुटि से ग्रस्त है। अभिलेख और आदेश को खड़े होने की अनुमति देने से न्याय की विफलता होगी। ऐसी किसी त्रुटि के अभाव में, निर्णय/आदेश से जुड़ी अंतिमता को बाधित नहीं किया जा सकता है। कंडिका- 10 में **इंदरचंद जैन (उपरोक्त), माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे कहा है कि यह किसी भी संदेह या विवाद से परे है कि समीक्षा न्यायलय अपने स्वयं के आदेश पर अपील में नहीं बैठती है। कानून में मामले की फिर से सुनवाई की अनुमति नहीं है। यह सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है कि एक बार निर्णय पर हस्ताक्षर या घोषणा होने के बाद, इसे बदला नहीं जाना चाहिए। यह भी सामान्य है कि किसी भी आदेश की समीक्षा के लिए अंतर्निहित अधिकारक्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि समीक्षा छद्म रूप में अपील नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **लिली थॉमस बनाम भारत संघ** का भी उल्लेख कि या है,जैसा कि **(2000) 6 एस.सी.सी. 224** में बता या गया है,जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरापैराग्राफ 56 में कहा है कि समीक्षा की शक्ति का उपयोग किसी गलती को सुधारने के लिए किया जा सकता है,लेकिन किसी दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं । ऐसी शक्तियों का प्रयोग शक्ति के प्रयोग से संबंधित क़ानून की सीमाओं के भीतर किया जा सकता है क्यों कि समीक्षा को छद्म रूप में अपील के रूप में नहीं माना जा सकता है।

9. एस.बागीरथी अम्मल बनाम पलानी रोमन कैथोलिक मिशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि (2009) 10 एस.सी.सी. 464 में बता या गया है के कंडिका संख्या 11 के निर्णय में कहा गया है कि उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि समीक्षा अनुज्ञेय (क) नए और महत्वपूर्ण मामले या साक्ष्य की खोज से, जो आदेश पारित होने के समय पक्षकार द्वारा उचित परिश्रम के अभ्यास के बाद प्रस्तुत नहीं किया जा सका; (ख) किसी गलती के कारण;(ग) जहां अभिलेख के सामने त्रुटि स्पष्ट है या स्पष्ट रूप से गलत है;(घ) कोई अन्य पर्याप्त कारण। यदि किसी भी शर्त को पूरा किया जाता है, तो

पक्ष उस न्यायलय के फैसले या आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है जिसने डिक्री या आदेश पारित किया था। प्रावधान यह भी स्पष्ट करता है कि समीक्षा के लिए आवेदन न केवल एक नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य की खोज पर या जब अभिलेख के सामने कोई स्पष्ट त्रुटि मौजूद हो, बल्कि तब भी बनाए रखा जा सकता है जब किसी गलती के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से इसकी आवश्यकता हो ।

10. व्याख्या करते हुए "चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि अभिलेख", **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने **एस. बागीरथी अम्मल मामला (उपरोक्त)** के कंडिका 12 में कहा है कि एक त्रुटि है, जिसे नियम के तहत विचार किया जाना चाहिए जो अभिलेख के सामने स्पष्ट होने कि एक त्रुटि जिसे निकालना और खोजना हो। दूसरे शब्दों में, यह असावधानी की त्रुटि होनी चाहिए। यह केवल एक त्रुटि से कुछ अधिक होनी चाहिए और यह ऐसी होनी चाहिए जो अभिलेख के सामने प्रकट होनी चाहिए। कब एक त्रुटि केवल त्रुटि नहीं रह जाती है और एक त्रुटि बन जाती है अभिलेख के प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री पर निर्भर करता है। यदि त्रुटि इतनी स्पष्ट है कि आगे की जांच या जांच के बिना, आवेदक के पक्ष में केवल एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में, समीक्षा निहित होगी। समीक्षा की आड़ में, पक्षकारों को एक ही मुद्दे की पुनः सुनवाई का अधिकार नहीं है, लेकिन इस मुद्दे का निर्णय केवल अभिलेखों के अवलोकन से किया जा सकता है और यदि यह स्पष्ट है तो आदेश की समीक्षा करके इसे सही कि या जा सकता है।है

11. **शांति कंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड बनाम असम राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य** मामले में**,** जैसा कि **(2020) 2 एस.सी.सी. 677** में प्रतिवेदित किया गया है**, माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **पार्शन देवी बनाम सुमितरी देवी** का उल्लेख किया है**,** जैसा कि **(1997) 8 एस.सी.सी. 715** में प्रतिवेदित किया गया है**,** जिसमें **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने कंडिका **9** में कहा है कि आदेश**-47,** नियम **1** दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत एक निर्णय हो सकता है,यदि अभिलेख में कोई गलती या त्रुटि स्पष्ट है तो अन्य बातों के साथ-साथ समीक्षा

करने के लिए खुला है। एक त्रुटि जो स्वयं स्पष्ट नहीं है और जिसे तर्क की प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जाना है, उसे शायद ही अभिलेख के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है जो न्यायलय को आदेश 47 नियम 1 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उचित ठहराती है। यह आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा गया है की **परसन देवी मामले में न्यायलय (उपरोक्त)** कि यह अनुज्ञेय नहीं है एक गलत निर्णय के लिए "फिर से सुना और ठीक किया जाना"। पुनर्विचार याचिका, यह याद रखना चाहिए कि इसका एक सीमित उद्देश्य है और इसे "भेष बदलकर अपील" करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

12. **शशि(मृत)के माध्यम से कानूनी प्रतिनिधि बनाम अरविंदक्षण नायर एवं अन्य,** जैसा कि **(2017) 4 एससीसी 692** में प्रतिवेदित किया गया है, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने, आदेश 47 दीवानी प्रक्रिया संहिता के नियम-1 का हवाला देते हुए कहा है कि इसमें उल्लिखित आधार विशिष्ट हैं और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप के सिद्धांत सुस्थापित हैं। आदेश पारित करने वाला न्यायालय आदेश की समीक्षा करने का हकदार है, यदिउपर्युक्त प्रावधान में निर्दिष्ट कोई भी आधार संतुष्ट होता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने आगे **तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**, का संदर्भ दिया, जैसा कि **एआईआर 1964 एससी 1372** में प्रतिवेदित किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 11 में कहा है कि समीक्षा किसी भी तरह से छिपी हुई अपील नहीं है जिसके द्वारा किसी गलत निर्णय की पुनः सुनवाई की जाती है और उसे सही किया जाता है, बल्कि यह केवल स्पष्ट त्रुटि के लिए होती है।

13. **सौ चंद्र कांते और अन्य बनाम शेख हबीब मामले में, जैसा कि (1975) 1 एससीसी 674** में प्रतिवेदित किया गया है, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने टिप्पणी की है कि किसी निर्णय की समीक्षा एक गंभीर कदम है और इसका

अनिच्छुक सहारा तभी उचित है जब न्यायिक त्रुटि के कारण पहले ही कोई स्पष्ट चूक या स्पष्ट गलती या गंभीर त्रुटि हो चुकी हो। विभिन्न वकीलों द्वारा पुराने और खारिज किए गए तर्कों की मात्र पुनरावृत्ति, अप्रभावी रूप से कवर किए गए आधार पर दूसरी बार चर्चा या महत्वहीन महत्व की छोटी-मोटी गलतियाँ स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं। इन कारकों के अनुपालन की अत्यंत सख्त आवश्यकता ही वकील के प्रमाण पत्र पर जोर देने के पीछे का तर्क है, जो एक नियमित मामला या आदतन कदम नहीं होना चाहिए। यह न तो उस न्यायलय के प्रति निष्पक्षता है जिसने फैसला सुनाया और न ही उस कीमती जनता के समय के प्रति जागरूकता है जो निपटान के लिए कतार में प्रतीक्षारत ढेरों दस्तावेजों के कारण बर्बाद हुआ, वकीलों द्वारा समीक्षा के लिए आसान प्रमाण पत्र जारी करना और उसी लड़ाई को फिर से लड़ना जो लड़ी और हारी जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समय के अधिकतम उपयोग के लिए संरक्षण पर चिंता व्यक्त की और समीक्षा को पासपोर्ट के रूप में लेबल करके बार-बार प्रदर्शन करने की घटना पर भी खेद व्यक्त किया।

14. मेसर्स नॉर्दर्न इंडिया कैटरर्स (इंडिया) लिमिटेड बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल, जैसा कि **(1980) 2 एस.सी.सी. 167** में प्रतिवेदित किया गया है, **माननीय उच्चतम न्यायालय** ने कंडिका 8 में कहा है कि कार्यवाही की प्रकृति चाहे जो भी हो, यह विवाद से परे है कि समीक्षा कार्यवाही को मामले की मूल सुनवाई के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और न्यायलय द्वारा दिए गए फैसले की अंतिमता पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि इसमें एक स्पष्ट चूक या पेटेंट गलती या ऐसी गंभीर त्रुटि इससे पहले न्यायिक त्रुटि द्वारा हुई हो ।

15. दीवानी समीक्षा के अधिकारक्षेत्र को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है,जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा अनुमोदित किया गया है कंडिका 33 में **इंदरचंद जैन मामला (उपरोक्त):**

“33. ....

(i) समीक्षा कार्यवाही अपील के माध्यम से नहीं होती है और इसे आदेश 47 नियम 1 दीवानी प्रक्रिया संहिता के दायरे को सख्ती से सीमित किया जाना चाहिए।

(ii) समीक्षा की शक्ति का प्रयोग तब किया जा सकता है जब अभिलेख के सामने कोई स्पष्ट गलती या त्रुटि पाई जाती है लेकिन अभिलेख के सामने त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होनी चाहिए जो केवल अभिलेख को देखने मात्र से ही ध्यान आनी चाहिए और उन बिंदुओं तर्क करने की किसी लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी जहां दो मत हो सकती हैं।

(iii) समीक्षा की शक्ति का प्रयोग इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि निर्णय गुण-दोष के आधार पर गलत था।

(iv) समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किसी भी पर्याप्त कारण के लिए भी किया जा सकता है जो न्यायलय या यहां तक कि एक अधिवक्ता द्वारा तथ्य या कानून की गलत धारणा को शामिल करने के लिए पर्याप्त है।

(v) एक्टस क्यूरी नेमेनेम ग्रेवबिट सिद्धांत का आह्वान करके समीक्षा के लिए एक आवेदन की आवश्यकता हो सकती है।

16. अब, वर्तमान मामले पर आते हुए, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता 2019 के सी.डब्ल्यू.जे.सी.संख्या 23813 में पारित आदेश की समीक्षा चाहता है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की रिट याचिका को गैर-रखरखाव के कारण खारिज कर दिया गया था, निम्नानुसार अभिनिर्धारित करता हैः

*" इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए **कृष्ण यादव बनाम बिहार राज्य;** में प्रतिवेदित किया गया; **2019(2) पी.एल.जे.आर. 809,** विशेष करके के कंडिका संख्या- 79,133,138 और 139, हम देखते हैं कि वर्तमान याचिका अंग्रेजी में किसी भी प्रमाणित अनुवादित संस्करण के साथ हिंदी भाषा में दायर की गई है, जो बनाए रखने योग्य नहीं है। इस प्रकार इसे खारिज कर दिया जाता है।"*

17. याचिकाकर्ता की ओर से निवेदन यह है कि न्यायलय याचिका को खारिज करते समय **कृष्ण यादव मामले (उपरोक्त)** को ठीक से समझने में विफल रही है।

18. कृष्ण यादव मामले में (उपरोक्त), माननीय पूर्णपीठ ने कहा है कि जब तक 9 मई, 1972 की अधिसूचना को किसी भी रूप में संशोधित, निरस्त या प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, तब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका या कर संदर्भ हिंदी में दायर किया जा सकता है,लेकिन इसके साथ एक अंग्रेजी संस्करण भी होना चाहिए जो सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए याचिका का प्रामाणिक संस्करण हो गा जब तक कि 9 मई, 1972 की अधिसूचना बनी हुई है।

19. निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता ने रिट याचिका का अंग्रेजी संस्करण दा यर नहीं कि या था जो हिंदी में दायर किया गया था । इसलिए, **कृष्ण यादव मामले (उपरोक्त)** के अनुपात को लागू करते हुए, इस न्यायालय की **माननीय खंड पीठ** ने याचिकाकर्ता की रिट याचिका को विचारणीय नहीं बताते हुए खारिज कर दिया ।

20. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता ने 2019 के सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या 23813 को पारित दिनांकित 02.12.2019 आदेश की समीक्षा के लिए कोई आधार नहीं बनाया है क्यों कि कोई पेटेंट या स्पष्ट अभिलेख या आदेश की समीक्षा के लिए किसी अन्य आधार पर स्पष्ट त्रुटि नहीं है।

21. याचिकाकर्ता, वास्तव में, उस न्यायालय के दृष्टिकोण या राय को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है जो अपील न्यायालय का प्रांत है न कि समीक्षा अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय का याचिकाकर्ता ने न्यायलय के न्यायिक समय को बर्बाद करने के लिए एक अपील दायर की है, जिसमें बहुत सारे प्रलंबित दस्तावेज हैं। अन्यथा समय का उपयोग कतार में प्रतीक्षा कर रहे वादियों के अन्य लंबित मामलों के निपटारे के लिए किया जा सकता था ।

22. इसलिए समीक्षा याचिका किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण

खारिज कर दी जाती है और इसकी लागत रु.5,000/- (पाँच हजार) का जुर्माना याचिकाकर्ता पर तुच्छ समीक्षा याचिका दायर करने के लिए लगा या जाता है, जिसकी लागत आदेश के एक महीने के भीतर पटना उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, पटना में प्रेषित की जानी है।

23. निर्धारित समय में लागत की वापसी न होने की स्थिति में इस मामले को 05.09.2023 पर फिर से सूची बद्ध किया जाये।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

(पी.बी.भजंत्री, न्यायमूर्ति)

एसकेएम/चंदन/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।